अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1985(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.03.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 614(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "एमपथी फाउन्डेशन, 405 क्रुशाल कमर्शियल काम्प्लेक्स, शॉपर स्टाप के ऊपर, जी. एम. रोड, चेम्बूर (पश्चिम), मुंबई-40089, महाराष्ट्र" द्वारा "चिकित्सा कैम्प" की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2009-10 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 1 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 16.03.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 484(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2012-2013 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत को 2.97 करोड़ रुपए से 7.60 करोड़ रुपए तक बढ़ाए जाने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "एमपथी फाउन्डेशन, 405 कुशाल कमर्शियल काम्प्लेक्स, शॉपर स्टाप के ऊपर, जी. एम. रोड, चेम्बूर (पश्चिम), मुंबई-40089, , महाराष्ट्र"" द्वारा चलाई जा रही "चिकित्सा कैम्प" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017**-18** के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ; और

(ख) दिनांक 18.03.2010 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 614(अ.) को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है, नामत :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 1 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम की धारा 1961की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में '**2**.97 करोड़ रुपए' अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए '**7.60** करोड़ रुपए' अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 1**98**/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)